न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/47

1. मातादीन पुत्र बहादुर
2. ग्यारसा पुत्र बहादुर
   समस्त जाति गूर्जर निवासी ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. लीलाराम पुत्र रामस्वरूप, जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली दिनांक 27.01.2021 अपील नंबरी 19/2020 उनवानी लीलाराम बनाम तहसीलदार विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कोटपूतली

उपस्थित–

1. श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनिल कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –07.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.01.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78 व 2371/1002/0.60 वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली गोचर (चारागाह) भूमि है, जिसमें साबिक ख.नं. 1082 वाकै मौजा पनियाला गोचर चारागाह भूमि है जो जमाबंदी सम्वत 2027–2030 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–2031, 2032–2035 के अवलोकन से मात्र जाहिर है जो पशु वगैरह चारागाह के लिए राज्य सरकार द्वारा छोडी गयी भूमि है। उक्त भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं परन्तु ग्राम पनियाला के मातादीन ग्यारसा पुत्रान बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला द्वारा गैर कानूनी रूप से उपरोक्त भूमि को स्वंय को नियमन होना जाहिर करते हुए स्वंय के नाम गैर खातेदारी करवाली, जिसकी जानकारी पर प्रार्थी ने दिनांक 13.3.2018 को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बजाये यह कहते हुये कि इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है। सक्षम न्यायालय में अनुतोष चाहने हेतु चाराजोही करें तथा प्रकरण का निस्तारण करें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीलाराम ने अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कोटपूतली जिला जयपुर के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2021 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये गये कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर जॉच कर उनके अधिकार सुरक्षित रखते हुए एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आंवटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एक्ट के तहत गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट मातादीन पुत्र बहादुर वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रंजिश वश 46 वर्श बाद एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 को मुतालिक खसरा नम्बर 993 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2371/1002 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाकै ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पेश किया। जिसमे अपीलान्ट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट बुर्जगों के समय से आराजी उक्त के रिकार्डेड काबिज खातेदार है इसलिये शिकायती प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। अधिनस्थ तहसीलदार जी ने जरिये निर्णय दिनांक 14.2.2020 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शिकायी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने के कारण फैसल कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीलाराम ने अधिनस्थ तहसीलदार जी के निर्णय दिनांक 14.2.2010 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अपील पेश की जिसमें अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनस्थ तहसीलदार जी पत्रावली तलब किये बिना ही आनन फानन में निर्णय दिनांक 27.1.2021 को पारित कर अधिनस्थ तहसीलदार जी को आदेश दिये गये कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर जॉच कर उनके अधिकार सुरक्षित रखते हुए एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आंवटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। जिससे प्रार्थी अपीलांट काफी पीडित व प्रभावित है। अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मौजूदा अपीलांटस को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि अधिनस्थ तहसीलदार जी के समक्ष ने अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश शिकायती प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया था। अपीलांट रिकार्डेड काबिज खातेदारान को पक्षकार न बनाकर अपीलान्ट को दरकिनार करते हुये सुनवाई जवाबदेही का अवसर न देकर सुनवाई के प्राकृतिक न्याय की घोर अवहेलना करते हुये अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलीय निर्णय पारित करने में भयंकर गलती की है। आराजी उक्त की वास्तविक स्थिति का जायजा न लेकर अपीलांट रिकार्डेड काबिज खातेदारान को पक्षकार न बनाकर अधिनस्थ न्यायालय ने वास्तविक स्थिति को दरकिनार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने भंयकर गलती की है। जहां तक वर्तमान कानूनी स्थिति मौजूदा प्रकरण में है वो यह है कि राजस्थान उच्च खंड पीठ जयपुर डी बी सिविल रिट संख्या 7298/2017 में दिनांक 11.04.2018 को अभिमत दिया है कि चारागाह लैंड मुतालिक 43 वर्ष बाद चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण रिट 43000/–कोस्ट पर खारिज कर दी गई मौजूदा प्रकरण तो 46 वर्ष पुराना है जिस पर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली निर्णय दिनांक 27.01.2021 अपील संख्या 19/2020 उनवानी लीलाराम बनाम तहसीलदार को निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78 व 2371/1002/0.60 वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली गोचर (चारागाह) भूमि है, जिसमें साबिक ख.नं. 1082 वाकै मौजा पनियाला गोचर चारागाह भूमि है जो जमाबंदी सम्वत 2027–2030 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–2031, 2032–2035 के अवलोकन से मात्र जाहिर है जो पशु वगैरह चारागाह के लिए राज्य सरकार द्वारा छोडी गयी भूमि है। उक्त भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होते हैं परन्तु ग्राम पनियाला के मातादीन ग्यारसा पुत्रान बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला द्वारा गैर कानूनी रूप से उपरोक्त भूमि को स्वंय को नियमन होना जाहिर करते हुए स्वंय के नाम गैर खातेदारी करवाली, जिसकी जानकारी पर प्रार्थी ने दिनांक 13.3.2018 को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बजाये यह कहते हुये कि इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है। सक्षम न्यायालय में अनुतो । चाहने हेतु चाराजोही करें तथा प्रकरण का निस्तारण करें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीलाराम ने अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कोटपूतली जिला जयपुर के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2021 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये गये कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर जॉच कर उनके अधिकार सुरक्षित रखते हुए एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आंवटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। जो उचित व विधिसम्मत है। अतः अपील अस्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.2021 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अपील पेश की है इसलिये अपीलांट उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लीलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78 व 2371/1002/0.60 वाके ग्राम पनियाला जिसके साबिक ख.नं. 1082 वाके ग्राम पनियाला गोचर भूमि का गलत रूप से गैर खातेदारी दर्ज करने का पेश किया जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 14.02.2020 को अपने निर्णय में वर्णित यिा कि साबिक ख.नं. 1082 वाके मौजा पनियाला में से नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22.10.71 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की है, जिसका उल्लेख खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–31 में भी किया गया है। इसके बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख.नं. 1082 के हाल खसरा आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78 व 2371/1002/0.60 किता 4 रकबा 2.71 हैक्टर मातादीन ग्यारसा पिता बहादुर जाति रावत, सा. देह के नाम गैर खातेदारी मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2037–56 में अंकन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त खातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। तहसीलदार को सक्षम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र यह कहा जाकर निस्तारण कर दिया कि किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को निरस्त करने का अधिकार (न्यायालय तहसीलदार) के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रार्थी उक्त कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में अनुतो । प्राप्त कर सकता है, जबकि तहसीलदार को अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से सरकारी भूमि की खातेदारी प्राप्त होती है तो सरकार की ओर से स्वंय सक्षम न्यायालय में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेफरेन्स प्रस्तुत कर खातेदारी निरस्त कराने की कार्यवाही कर सकता है। प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होना वर्णित कर दिया किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वंय ने उक्त आरायीयात बाबत रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की गयी।

चूँकि साबिक ख.नं. 1082 वाके मौजा परियाला में से नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22.10.71 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज हुयी है, जिस आदेश से गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। उस आदेश को तहसीलीदार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी यानि जिन व्यक्यिों को भूमि आंवटन/नियमन हुयी है। आवंटन नियम 14(4) के निरस्तीकरण की कार्यवाही बाबत प्रार्थना –पत्र तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए था या फिर नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22.10.71 वाके मौजा पनियाला की अपील करनी चाहिए थी किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का अंकन करने के बाद भी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रकरण में ना तो नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश की है, ना ही आंवटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत आंवटन/नियमन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा ना ही रेफरेन्स प्रकरण एल.आर.एक्ट धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2021 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 लीलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये गये कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर जॉच कर उनके अधिकार सुरक्षित रखते हुए एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आंवटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 27.01.2021 यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर जॉच कर एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आंवटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार कोटपूतली को निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।